सुरक्षित भविष्य योजना

आंगनवाडी वर्करों तथा हैल्परों के लिए

हरियाणा राज्य का एक

अनूठा उपहार

महिला एवं बाल विकास

निदेशालय, हरियाणा द्वारा संचालित

सुरक्षित भविष्य योजना :–

आंगनवाडी वर्कर तथा हैल्पर हरियाणा राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को निभाने में अह्म भूमिका अदा कर रही हैं। उनके इस प्रशंसनीय योगदान को ध्यान में रखते हुये हरियाणा सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से दिनांक 1–1–2008 से "सुरिक्षत भविष्य योजना" आरम्भ की है।

सुरक्षित भविष्य योजना क्या है?

यह योजना सभी आंगनवाडी वर्करों तथा हैल्परों के कार्य–जीवन की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार का एक अनूठा एवं निःशुल्क उपहार है।

योग्यता :–

सभी आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर जिन्होने 1–1–2008 तक कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस योजना के लाभ के पात्र होगें। इसके पश्चात शेष आंगनवाडी वर्कर तथा हैल्पर एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अर्थात प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई अथवा प्रथम अक्तूबर (जो भी बाद में हो) से इसके सदस्य बन सकेंगे।

हितलाभ :–

इस योजना के हितलाभ निम्न प्रकार से होंगे।

सदस्य के सेवामुक्त होने पर : जमा राशि ब्याज सहित।

सेवा में रहते मृत्यु होने पर : 50,000/– रू. की बीमा धन राशि तथा जमा राशि ब्याज सहित ।

प्रीमियम :–

इस योजना में प्रीमियम का योगदान 100/– रू. मासिक प्रति सदस्य रहेगा, जिसका वहन महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा करेगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, चण्डीगढ़ के पास त्रैमासिक आधार पर जमा करवाएगा। सदस्यों द्वारा इस योजना में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं किया जायेगा। इस 100/– रू. की राशि को दो भागों में बांटा जाएगा जिसमें से 83/– रू. सदस्य के बचत खाते में जमा किए जाएंगे जबकि 17/– रू. के विरूद्ध जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।

नोडल एजेन्सी :–

महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हरियाणा इस योजना के अंतर्गत नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा इस योजना के किर्यान्वयन के लिये प्रत्येक जिले में कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. सैल निर्दिष्ट अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी।

हितलाभ प्राप्ति की कार्यप्रणाली :–

हितलाभ की प्राप्ति का अधिकार जिला स्तरीय निर्दिष्ट अधिकारी, (कार्यक्रम अधिकारी आई.सी.डी.एस. सैल) के पास रहेगा, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम, पी एण्ड जी.एस. युनिट, चण्डीगढ़ से हितलाभ की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाएगी।

सदस्य की सेवामुक्ति पर :–

सम्बंधित क्लेम फार्म को पूर्णतया भरकर दाखिल करना।

सदस्य की मृत्यु होने पर :–

सम्बंधित क्लेम फार्म को पूर्णतया भरकर मृत्यु प्रमाण–पत्र (मृत्यु प्रमाण–पत्र की असली कापी अथवा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित कापी) सहित फार्म भरकर दाखिल करना। भारतीय जीवन बीमा निगम, चण्डीगढ़ युनिट क्लेम फार्म की प्रस्तुति के उपरांत शीघ्रातिशीघ्र दावे का निपटारा करेगी तथा दावाराशि का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से लाभपात्र को किया जायेगा।

प्रकाशक

महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हरियाणा
एस.सी.ओ. 360–361, सैक्टर – 34ए
चण्डीगढ़, दूरभाष : 2604541